<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : राकेश गोयल, आरजेएस, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(अतिरिक्त कार्यभार)

आपराधिक निगरानी सं. 53/25
CIS NO. 53/25

1. गिर्राज सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ठाकुर पाडा बाडी पुलिस थाना बाडी जिला धौलपुर

----------निगराकार/प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

---अप्रार्थी/गैरनिगराकार

फौजदारी निगरानी विरुद्ध आदेश दिनाँक 06.08.25 द्वारा श्रीमती ज्योति सिंह मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर जो उनवानी गिर्राज सिंह बनाम सुमित मेहरडा, परिवाद नंबर 35/25 में पारित किया गया।

उपस्थितिः-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, निगराकार/प्रार्थी
2. श्री मुकेश सिकरवार, अपर लोक अभियोजक, गैर निगराकार

<u>आदेश</u> **दिनांकः 16.03.2026**

1. यह निगरानी निगराकार/प्रार्थी ने न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के आदेश दिनाँकित 06.08.25 से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो अंतरित होकर विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई जो दर्ज रजिस्टर की गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.25 को प्रार्थी गिर्राज सिंह के द्वारा एक परिवाद सुमित मेहरडा के विरूद्ध अंतर्गत धारा 115, 126, 351, 352, 198 बीएनएस के तहत विचारण

न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसमें उसने दिनांक 20.11.24 को रात्रि करीब 11 बजे सुमित मेहरडा हाल पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा उसके साथ जिला कारागृह धौलपुर में जानलेवा हमला करना, गाली गलौंच व मारपीट करने का अंकन किया है । परिवाद के समर्थन में उसने स्वयं के बयान अंतर्गत धारा 223 बीएनएसएस के तहत तथा गवाह प्रमोद व अजय सिंह परमार के बयान अंतर्गत धारा 225 बीएनएसएस के तहत लेखबद्ध कराये । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.25 से व्यथित होकर निगराकार द्वारा यह निगरानी पेश की गई ।

3. बहस निगरानी सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध है । उन्होंने विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुये यह आक्षेपित आदेश पारित किया है । 225 बीएनएसएस के तहत संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच करने के विधिक अधिकार हैं तथा घटनाक्रम धौलपुर जेल का है, धौलपुर जेल के अधिकारियों व कर्मियों एवं धौलपुर जेल का अभिलेख जांच के दौरान सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये अपेक्षित साक्षीगण व सबूत हैं जिसे तलब न फरमाकर तथा परिवादी स्वयं के स्तर पर स्वयं के समर्थन के गवाह पेश करें, अभिलिखित कर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है । अंत में निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जावे तथा दिनांक 20.11.24 को धौलपुर जिला कारागृह के रात्रिकालीन स्टाफ व अधिकारियों को मय सम्यक अभिलेख के तलब फरमाये जाने का निवेदन किया ।

4. जवाब में विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता का यह निवेदन रहा कि विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है । उन्होंने साक्ष्य का सही प्रकार से विवेचन कर आक्षेपित आदेश पारित किया है । अतः निगरानी खारिज की जावे।

5. सुना गया। पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। इस निगरानी याचिका के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है

किः-

"क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.25 निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है?"

6. इस क्रम में पत्रावली, आक्षेपित आदेश का तथा निगरानी याचिका का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगराकार के द्वारा दिनांक 04.01.25 को एक परिवाद अंतर्गत धारा 223 बीएनएसएस में प्रस्तुत किया । उक्त परिवाद में घटना दिनांक 20.11.24 को रात्रि 11 बजे की बताई गई है । इसके समर्थन में निगराकार के द्वारा विचारण न्यायालय में धारा 223 बीएनएसएस के तहत स्वयं के बयान तथा धारा 225 बीएनएसएस के तहत गवाह प्रमोद सिंह, अजय सिंह के बयान लेखबद्ध कराये । निगराकार के द्वारा सुमित मेहरडा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक धौलपुर के द्वारा जेल में मारपीट करने का आरोप लगाया गया है । आलोच्य आदेश में विचारण न्यायालय के द्वारा जेल कारागृह धौलपुर के उस समय के रिकार्ड को तलब नहीं किया गया है । विचारण न्यायालय स्वयं इस संबंध में जिला कारागृह धौलपुर से उस समय का रिकार्ड तलब कर जांच कर सकता था, लेकिन उनके द्वारा इस संबंध में जांच नहीं की गई । अतः उपरोक्त आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । विचारण न्यायालय को जिला कारागृह धौलपुर से उस समय का रिकार्ड तलब कर तथा उस समय के उपस्थित कर्मचारीगण की साक्ष्य लेखबद्ध कर पुनः परिवाद पर विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.25 विधि के विपरीत होने के कारण एवं कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है और निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

7. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी विरुद्ध राजस्थान राज्य स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.25 अपास्त किया

जाता है तथा विचारण न्यायालय को जिला कारागृह धौलपुर से उस समय का रिकार्ड तलब कर तथा उस समय के उपस्थित कर्मचारीगण की साक्ष्य लेखबद्ध कर विधि अनुसार पुनः आदेश पारित करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ अविलंब प्रेषित की जावे।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज0)

8. आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश गोयल)
(अतिरिक्त कार्यभार)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
धौलपुर (राज0)